न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1618–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–4–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला बुरहानपुर पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 13/2010–11.

1 गयाबाई विधवा दशरथ भोई
2 सुनील पिता दशरथ भोई
3 अनिल पिता दशरथ भोई
4 ईश्वर पिता दशरथ भोई
5 किशोर पिता दशरथ भोई
6 रघुनाथ पिता किशन भोई
सभी निवासी भोईवाडा शिकारपुरा बुरहानपुर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 सकल पंच भोई समाज ट्रस्ट सर्वहाकार
अध्यक्ष भारत पिता नत्थु, निवासी शिकारपुरा बुरहानपुर
2 बनी बाई विधवा इसना भोई

.....अनावेदकगण

श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संजय करंजवाला, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 26 जून 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश 3–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 सकल पंच भोई समाज ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष भारत पिता नत्थु चौहान ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शिकारपुरा बुरहानपुर स्थित ब्लाक नंबर 55 प्लाट नंबर 40 रकबा 828 वर्गफीट में से 600 वर्गफीट वाली संपत्ति उसके द्वारा दिनांक 1–7–2001 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है । इसी प्रकार मोहल्ला शिकारपुरा बुरहानपुर स्थित ब्लाक नंबर 55 प्लाट नंबर 42 रकबा 1138 वर्गफीट वाली संपत्ति श्री सकल पंच भोई समाज सर्वहाकार सोहनलाल पिता सखाराम, दशरथ पिता किसन, रघुनाथ पिता किशन के नाम से दर्ज है । इसमें से सोहनलाल एवं दशरथ की मृत्यु हो गई है तथा सकल पंच भोई समाज शिकारपुरा बुरहानुपर का नया अध्यक्ष एवं सर्वहाकार भारत पिता नत्थु चौहान हो जाने से उक्त वर्णित संपत्ति श्री सकल पंच भोई समाज ट्रस्ट शिकारपुरा बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष एवं सर्वहाकार भारत पिता नत्थु चौहान के नाम से दर्ज की जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ–6/09–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 31–12–2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्तियों पर अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–10–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 31–12–2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर विधिवत निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 3–4–2012 को आदेश

है और उन्हें ट्रस्ट गठन एवं संपत्तियों के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है । अतः जब ट्रस्ट अस्तित्व में ही नहीं आया, तब तहसीलदार द्वारा ट्रस्ट का नाम दर्ज करने में पुर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त पूर्व में ब्लाक नंबर 55 प्लाट नंबर 42 रकबा 1138 वर्गफीट पर सोहनलाल, दशरथ एवं रघुनाथ का नाम सर्वहाकार के रूप में दर्ज था, इनमें से सोहनलाल एवं दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, परन्तु रघुनाथ जीवित होने के बावजूद अनावेदक कमांक 1 द्वारा उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा भी रघुनाथ को पक्षकार बनाया जाकर सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जाये उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये जब रघुनाथ का नाम प्रश्नाधीन संपत्ति से कम किया गया है तब उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय का उल्लेख करते हुये कि वर्ष 1978–79 के शासकीय अभिलेख में प्रश्नाधीन संपत्ति सकल पंच भोई समाज सर्वहाकार सोहनलाल, दशरथ एवं रघुनाथ के नाम दर्ज थी। तहसील न्यायालय द्वारा अंकित धारक दशरथ के वारिस एवं रघुनाथ को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर तथा सूचना नहीं देकर त्रुटि की गई है, तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, परन्तु इस वैधानिक बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है कि नामांतरण आदेश पारित करने के दिनांक को ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ था और चूँकि प्रश्नाधीन संपत्ति निजी संपत्ति नहीं थी अतः दशरथ के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने एवं सूचना देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी विधिसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । कलेक्टर द्वारा भी आदेश पारित करने में उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है, अतः उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2012 , अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2010 एवं अतिरिक्त तहसीलदार एवं उप नजूल अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक

31–12–2009 अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाते है । प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि ट्रस्ट के गठन के संबंध में अद्ययतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवेदक कमांक 6 रघुनाथ एवं अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया जाये ।

(स्वदीप्त सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर